IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बाल अश्लीलता :एक अध्ययन

अक्षय कुमार (विधि स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र) बीए.एलएलबी (ऑनर्स)। लॉ कॉलेज देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय

डॉ. रमाकांत तिरपाठी सहायक अध्यापक विधि महाविद्यालय देहरादून उत्तरांचल विश्वविद्यालय

सार

अश्लीलता न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में एक नैतिक रूप से समस्याग्रस्त मुद्दा है। तकनीक का सबसे बुरा और प्रतिकूल प्रभाव इस युग में देखा जा सकता है। जहां दुनिया भर में अश्लीलता की संख्या 33% है। अश्लीलता शब्द को "यौन उत्तेजना जगाने के उद्देश्य से लिखी गई कोई भी चीज़, कोई तस्वीर, कोई फ़िल्म आदि" के रूप में परिभाषित किया गया है। अश्लीलता के संबंध में मुख्य समस्या यह है। कि अश्लील वस्तुओं का प्रदर्शन करने वाली साइटों पर प्रतिबंध लगाते समय कई तकनीकी रूप से विशिष्ट मुद्दे हैं। और यह कैसे भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और इंटरनेट के मुफ्त उपयोग तक पहुंच का कारण बनता है जो आने वाले समय में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए, उस विशेष सामग्री के संबंध में इंटरनेट सामग्री और कानूनी प्रावधानों तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के बीच एक विवाद चल रहा है। इस लेख में शोधकर्ता ने विभिन्न लेखों, ऑनलाइन डेटा, केस कानूनों और पुस्तकों के माध्यम से भारत में अश्लीलता के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने की पूरी कोशिश की है। इंटरनेट का एक तिहाई हिस्सा अश्लील सामग्री से ढका हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप पुरुष महिलाओं और बच्चों का शोषण और दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अप्राकृतिक यौन संबंध के विभिन्न अपराध कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के इस शोषण को रोकने के लिए कानून पर कड़े नियंत्रण की जरूरत है। इस लेख के माध्यम से शोधकर्ता ने अश्लीलता, उसके कानूनी प्रावधानों और उस पर न्यायिक नियंत्रण पर प्रकाश डाला है। शोधकर्ता ने समाज, बच्चों और महिलाओं पर पोर्न के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला और इस पर कानून के कड़े नियंत्रण की सिफारिश की।

मुख्य शब्द - बाल अश्लीलता, गैरकानूनी , यौन आचरण ,यौन शोषण

परिचय

भारत मे आयु सीमा 14 वर्ष की जनसंख्या का लगभग 26.16 प्रतिशत है।[1] बाल अश्लीलता जिसमें नाबालिग से जुड़े यौन आचरण के दृश्य चित्रण शामिल हैं। हालाँकि, इंटरनेट के आगमन ने इसे बड़ा और अधिक व्यापक बना दिया है। बाल अश्लीलता को पहली बार 1970 के दशक में एक गंभीर समस्या के रूप में पहचाना गया था। लेकिन इंटरनेट के जन्म और अन्य तकनीकी प्रगति, जैसे कि डिजिटल फोटोग्राफी, ने बाल अश्लीलता की उपलब्धता में नाटकीय वृद्धि की और बाल अश्लीलता का पता लगाने के लिए अप्रचलित पिछली प्रवर्तन तकनीकों का प्रतिपादन किया।[2] बाल अश्लीलता में आधुनिक वृद्धि के लिए विधायी प्रतिक्रिया समान रूप से कठोर रही है। बाल यौन शोषण एक बच्चे और एक वयस्क या किसी अन्य बच्चे के बीच इस गतिविधि से प्रमाणित होता है। जो उम्र या विकास के अनुसार जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के संबंध में है। किसी बच्चे को किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करना या जबरदस्ती करना वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चे का शोषणकारी उपयोग अश्लील प्रदर्शन और सामग्री में बच्चों का शोषणकारी उपयोग करते है।[3]

तथ्य यह है कि दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड किया गया है।[4] साझा किया गया है और देखा गया है। बच्चे पीड़ित। आघात केवल यह जानकर प्रबल होता है। कि दर्ज और चित्रित दुर्व्यवहार प्रसारित हो रहा है। और दूसरों द्वारा इसका आनंद लिया जा रहा है।

[1] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2019
उपलब्ध है https://statisticstimes.com/demographics/country/indiapopulation.php. (अंतिम बार देखा गया 3 फरवरी 2023)

[2] डॉ. दविंदर सिंह, मानवाधिकार महिला और कानून -78 (इलाहाबाद लॉ एजेंसी का पहला संस्करण 2005)

[3] डब्ल्यूएचओ, बाल शोषण की रोकथाम पर परामर्श की रिपोर्ट, जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1999, पृष्ठ 15

[4] डॉ बसंती लाल बाबेल,महिला एवं बाल कानून,39(सेंट्रल लॉ एजेंसी इलहाबाद 211002,2017)

भारत में कानूनी पहलू

के. मुथुमारियप्पन बनाम राज्य[5] मामले में यह कहा गया था कि POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराध किए जाने की तिथि के अनुसार, वह एक नाबालिक लडकी थी। बच्चे शब्द को अधिनियम की धारा 2(डी)[6] में परिभाषित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बच्चे का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है। विनोद कुमार बनाम राज्य[7] में अदालत ने कहा कि कोई भी प्रश्न जिसमें यौन मंशा शामिल है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 यह अधिनियम बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।[8]

बच्चों पर बाल अश्लीलता का प्रभाव

जो अठारह वर्ष से कम आयु के हैं। वे मानव समाज के सबसे संवेदनशील अंग हैं। इस उम्र में उन्हें नई चीजें सीखने में गहरी दिलचस्पी होती है। जिस तरह 21वीं सदी में इंटरनेट बच्चों को एक क्लिक पर कई और नई चीजें सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गलत हाथों में फंसने पर उनका शोषण भी होता है।[9] और इसका प्रभाव कभी-कभी अस्थायी होता है लेकिन ज्यादातर समय यह स्थायी होता है। इसका प्रभाव स्थायी और कठोर होता है। ये अपरिहार्य नतीजे हैं। जो अवसाद, फ्लैशबैक, अलगाव, क्रोध के मुद्दों, खाने के विकार और नींद विकार का कारण बनते हैं। हालाँकि यौन शोषण से खुद को नुकसान पहुँचाना, खुद से नफरत करना, यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। गर्भावस्था, आत्महत्या का प्रयास।

न्यायिक प्रतिक्रिया

बाल अश्लीलता की सजा काफी गंभीर हो सकती है। लेकिन ऐसे सभी दंड व्यक्तिगत अपराधियों की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं। इसलिए बाल अश्लीलता मामलों में संघीय न्यायाधीशों के पास अधिकार हैं, जिन्हें "न्यायिक विवेक" के रूप में जाना जाता है।[10] न्यायिक विवेक संघीय न्यायाधीशों को संघीय कानूनों की तुलना में कम दंड देने की अनुमति देता है जो कुछ स्थितियों में निर्धारित हो सकते हैं। बाल अश्लीलता मामलों में इस तरह का विवेक अक्सर होता है। क्योंकि संघीय सजा दिशानिर्देश बहुत चरम हैं। हालाँकि, न्यायिक विवेक दोनों तरह से काम कर सकता है - न्यायाधीश कानूनी दिशानिर्देशों में निर्धारित की तुलना में कठोर दंड जारी कर सकते हैं।[11]

मुद्दा और चुनोती

आज, बाल अश्लीलता को अधिकांश समाजों द्वारा विशेष रूप से जघन्य अपराध माना जाता है। तकनीकी प्रगति के साथ, बाल अश्लीलता अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।[12] और यह अधिक शातिर और विकसित भी हुए हैं। और कई आने वाले वर्षों के लिए अलग-अलग तरीकों से पीड़ित हुए। अश्लील सामग्री अवसाद और अपराध की भावनाओं को विकसित करने के लिए। इसके अलावा, बाल अश्लीलता अपराध सीधे बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हैं। इस तथ्य के अलावा कि कुछ बाल अश्लीलता सामग्री बच्चों के खिलाफ शारीरिक, यौन शोषण दर्शाती है। तथ्य यह है कि दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड किया गया है। और देखा गया है की बच्चे पीड़ित। बाल अश्लीलता एक वैश्विक समस्या रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहचान की है।[13] कि बच्चों को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है जो उन लोगों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है जो बाल अश्लीलता का निर्माण, प्रदर्शन, वितरण और उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, एक और चुनौती जिसका सामना किया जा रहा है। वह यह है। कि बाल अश्लीलता के उत्पादन से संबंधित कोई डेटा नहीं है। और साथ ही विभिन्न देशों में और विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पाए जाने वाले देशों में इसके वितरण पर डेटा है। एक और चुनौती यह है कि दुनिया में बाल अश्लीलता का पैटर्न बदलता रहता है।

इसके अलावा, एक और बड़ी चुनौती कम खर्चीली तकनीक तक तेजी से बढ़ती वैश्विक पहुंच है। जो बढ़ रही है। इसने बाल अश्लीलता को एक अत्यधिक विकसित कुटीर उद्योग में बदल दिया है। अदालतों के साथ-साथ कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अश्लील साहित्य स्थापित करने की संभावना है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकती है और छवियों का उपयोग करके परिवर्तन करने की संभावना भी है।

---

[5] के. मुथुमारियप्पन वी. राज्य एमएएनयू टीएन 1611, (2015)।

[6] अंजनी कान्त,महिला एवं बाल कानून,103(सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 2013)

[7] विनोद कुमार बनाम विनोद कुमार राज्य एमएएनयू डीई 3515, (2014)।

[8] डॉ समीर बहादुरी (भारत में बाल पोर्नोग्राफी: मुद्दे और चुनौतियां) जर्नल ऑफ पॉजिटिव स्कूल साइकोलॉजी 2022, वॉल्यूम .6, नंबर 6, 6524 - 6529

[9] अब्भिप्सा बराल (एक व्यक्ति जो बच्चों के प्रति यौन रूप से आकर्षित है। © इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज)

[10] पी सदाशिवम (महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध, (2011) 8 एससीसी जे-1)

[11] जफर अहमद खान (भारत में बच्चों के यौन शोषण पर न्यायिक प्रतिक्रिया: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, 28 ALJ (2020-21) 179)

[12] वैष्णवी बंसल और इशिता अग्रवाल (भारत में अश्लील सामग्री प्रसार की वैधता: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, 3 एसएमएल एल रेव 43 (2020))

[13]तसलीमा मोनसूर (बाल अधिकारों पर सम्मेलन: अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन के लिए संभावनाएं, (1992) 3 DULJ 77)

निष्कर्ष और सुझाव

निष्कर्ष

बाल संरक्षण कानूनों के लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी यह अस्तित्व में है। जबकि ऐसे कानून काफी हद तक सफल रहे हैं। संख्या दर्शाती है। कि ये कानून अपने अभीष्ट लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। और इस संबंध में कानूनों का एक और सेट लाने या मौजूदा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। के लिए "दुनिया में किसी बच्चे को चोट पहुँचाने या उसका अपमान करने से बड़ी कोई अमानवीयता नहीं है"[14] ऐसी स्थितियों में बिना किसी देरी के तेजी से और मुकदमा चलाने के लिए खोजी तरीकों के नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसने सजा का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार इसने बाल यौन शोषण के अपराधों को वर्गीकृत किया। पॉक्सो में कहा कि इस तरह के अपराधों में लड़के या लड़की के रूप में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक ही नजरिए से देखा जाना चाहिए। यदि बाल-समर्थक व्यवहार होते तो यह अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होता इस वजह से जांच और सजा में लाया गया। इसने दंड संहिता में यौन न्याय के आदेशों की शुरुआत की। यानी बाल केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 इन किशोर अपराधियों के लिए यौन मामलों को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक पुलिस को यौन शोषण के शिकार बच्चे को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को सौंपने की बात कही गई थी कि बच्चों पर जांच करना बहुत मुश्किल है और आज के बदलते परिवेश में तरह-तरह की जांच हो रही है जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। और इन मामलों के पंजीकरण में वृद्धि हो रही है। क्या अभी हमें असली आंकड़े मिल रहे हैं? यह बात सामने आई है कि भारत में मजबूत परिवार नियोजन के बावजूद मनोवैज्ञानिक निर्माण में यह गलत धारणा है कि कई बच्चे अक्षम और अस्वस्थ, यौन शोषण करने वाले होते हैं। बच्चे और उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं।

सुझाव

शिक्षा स्तर पर

अश्लीलता एक कलंक नहीं है। अज्ञान है।"[15] यह मुहावरा न केवल भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त स्थिति के लिए अत्यंत सत्य है। केवल कुछ ही देश अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण यौन शिक्षा विकसित करने और प्रदान करने में सफल रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन शिक्षा की आवश्यकता न केवल युवा वयस्कों और किशोर छात्रों के लिए आवश्यक है। बल्कि समाज के उन बुजुर्ग सदस्यों के लिए भी है जो इस अवधारणा के बारे में तार्किक रूप से बात करने से हिचकते हैं। यह अज्ञानता हमारे दैनिक जीवन में यौन अपराधों का सामना करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि अन्य को पीड़ित, उसके माता-पिता, रिश्तेदारों या पुलिस द्वारा अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है। इस इक्कीसवीं सदी में किसी भी चीज की जानकारी के रूप में सामने आई। लेकिन यौन शिक्षा के संबंध में कुछ ही संबंधित जानकारियों से अवगत हैं। हर व्यक्ति को सेक्स के बारे में कुछ जानकारी होती है। लेकिन क्या वह जानकारी कानून का पालन करने वाले नागरिक को विकसित करने में मदद कर रही है। बलात्कार के दोषी, अदालतों में गवाही देते हैं कि उन्होंने बलात्कार का अपराध करने से पहले पोर्न देखा था। इससे पता चलता है कि उनके पास जानकारी तक पहुंच है लेकिन वह जानकारी न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दंडात्मक प्रावधान तेज किए गए हैं लेकिन बलात्कार के अपराध को रोकने के लिए निष्फल हैं।

बाल अश्लीलता एक कुरीति नहीं है। ये तो जीवन का एक हिस्सा है जो की मानव जीवन के लिए जरूरी ही है हलाकि बाल अश्लीलता के बारे में बच्चो को जागरूक करना अति अवश्यक है। क्यों की जिस सामग्री या वस्तु को बच्चो से ओझल किया जाता है। बच्चे के मन में उसको जानने की जिज्ञसा बड़ जाती है। और बच्चा उसको जानने का हर वो पर्यत्न करता है। जो वो कर सकता इसलिए बच्चो को भी अश्लीलता के बारे में इतना जागरूक करना जरूरी है। ताकि वो उससे होने वाले नुकशान को समझ सके और उससे बच सके क्युकी एक बच्चे की मानसिकता उस स्तर की नहीं होती है। की वो अच्छे बुरे की परख अच्छे से कर सके और हम इसी डर की वजह से की कही बच्चा गलत न समझ ले इस कारण हम उन से इसी तरह की बाते नहीं करते और न ही बच्चे कर पाते है। और इस बात का फायदा एक दूसरा व्यक्ति उठाता है जिस कारण अधिकांश बच्चे गलत दिशा को अपना लेता है।

[14] उपलब्ध है: https://hi.vikaspedia.in/education/child-rights/92c93e932-93894193091594d93793e-92a930-92a94193894d92493f91593e1 (अंतिम बार देखा गया 28 फरवरी 2023)

[15] उपलब्ध है: https://www.jagran.com/punjab/hoshiarpur-9216198.html (अंतिम बार देखा गया : फरवरी 28,2023)